

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2022 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

II. पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

III. ध्यानाकर्षण सूचना

(i) ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-17

श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भर्ती से संबंधित सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28

श्री बलराज कुंडू, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 के साथ क्लबड कर दिया गया है।

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

अल्पावधि चर्चा सूचना संख्या 2

जिसकी सूचना :-

1. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.,
2. श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.;
3. श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.;

द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 में परिवर्तित कर दी गई तथा स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 के साथ क्लबड कर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

(ii) ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20

1. श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.,
2. श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.;
3. श्री सुभाष देशवाल, एम.एल.ए.

द्वारा नई प्रोपर्टी आईडी को बनाने में सरकार द्वारा एकत्र किए गए गलत डेटा से संबंधित सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या

श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लबड कर दिया गया है।

20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 32

माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या

श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ क्लबड कर दिया गया है।

20 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

IV. नेवा पोर्टल के माध्यम से 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

- (i). वित्त मंत्री 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
- (ii). चेयरपर्सन, 2022-2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

V. 2022-2023 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) (नेवा पोर्टल के माध्यम से)

- राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
- अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 1	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹13,20,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 1-विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 1-3
---------------	-----------	--	---

मांग संख्या 2	एक मंत्री	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹10,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 4-6
मांग संख्या 3	एक मंत्री	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹23,50,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹1,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन/निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 7-11
मांग संख्या 5	एक मंत्री	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 5-गृह /कारागार/गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 12-16
मांग संख्या 10	एक मंत्री	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹68,07,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹8,09,60,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 10-खान एवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन तथा डेयरी विकास/मछली पालन/वन तथा वन्य प्राणी/परिस्थितिक विज्ञान तथा पर्यावरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 17-27

मांग संख्या 11	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 28-31
मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹345,01,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹30,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12-शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/ प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 32-38
मांग संख्या 13	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 13-खेलकूद तथा युवा कल्याण/ कला एवं संस्कृति/ पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 39-43
मांग संख्या 14	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 44-46
मांग संख्या 15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 15-श्रम/ रोजगार/ कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 47-50

मांग संख्या 16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 16- अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 51-55
मांग संख्या 17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹208,69,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹350,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 17- भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नागर विमानन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 56-62
मांग संख्या 18	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹148,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 18- सूचना तथा प्रचार/ इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मुद्रण तथा लेखन सामग्री के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 63-66
मांग संख्या 19	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹130,01,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-सिंचाई/ उद्योग और वाणिज्य/एम एस एम ई/आपूर्ति तथा निपटान/विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 67-71

मांग संख्या 20	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹100,07,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 20-शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/षहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास और पंचायत)/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2022-23 (द्वितीय किस्त) पृष्ठ संख्या 72-81
----------------	-----------	--	---

VI. विधायी कार्य

(विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल विधेयक, 2022. एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022. एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3. हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

5. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
6. फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
7. गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:

26 दिसम्बर, 2022

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।